यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-I वा णज्य कर वभाग, रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

डप्टी क मश्नर (क0नि0)-I वा णज्य कर वभाग, रूड़की के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री डी0के0 श्रीवास्तव एवं कलवन्त संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 14.03.2018 से 22.03.2018 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 23.01.2017 से 01.02.2017 तक तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः राजस्व संग्रह/ स वल लाइन एवं भगवानपुर क्षेत्र

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	15592.19
2015-16	14132.20
2016-17	14533.59

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2014-15	-	-	231.51	205.77	553.42	543.08
2015-16	-	-	229.06	218.54	273.78	225.87
2016-17	-	-	324.38	305.32	489.14	452.32

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....'ए'.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- ए डशनल- ज्वाइन्ट- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**I** वा णज्य कर वभाग, रूड़की को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**I** वा णज्य कर वभाग, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

व्यय: माह 01/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 1: कर वलम्ब से जमा कये जाने पर अर्थदण्ड का अनारोपण ` 1.58 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर अ धनियम-2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत कसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अ धनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं कया है तो वह देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत कन्तु अ धक से अ धक 25 प्रतिशत, यदि कर ` 10000/- तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत, यदि कर ` 10000/- से अ धक हो, का दायी होगा।

उत्तराखण्ड मूल्यव र्धत कर नियमावली-2005 के नियम-II के अनुसार व्योहारी, जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में 50 लाख से अ धक का आवर्त रहा हो, कर का भुगतान मा सक, ई-पेमेंट द्वारा उत्तरवर्ती माह की तारीख तक करेगा। 25

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क॰ नि॰), खण्ड-I, रूड्की के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क कार्यालय में पंजीकृत व्यौहारी सर्वश्री नेशनल प्लास्टो मोल्डिंग द्वारा वर्ष 2011-12 में माह 10/2011 का प्रांतीय कर `1,50,550/- एवं केंद्रीय कर `1,64,500/- (कुल `3,15,050/-) दिनाँक 21.02.2012 को वलम्ब से जमा कया गया था।
अतः उपरोक्त देय कर ` 3,15,050/- पर 50% की दर से ` 1,57,525/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जो क अ धरो पत नहीं कया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा क जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 2: ब्याज की धनरा श जमा न कराया जाना ` 0.80 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर-अ धनियम-2005 की धारा-34(4) के अनुसार स्वीकृत रूप से देय कर वहित समय के भीतर जमा कया जायेगा। ऐसा करने में वफल होने पर अदत्त धनरा श पर वहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनरा श के भुगतान की तारीख तक 15% वा र्षक ब्याज की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क॰ नि॰), खण्ड-I, रूड्की के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क कार्यालय में पंजीकृत व्यौहारी सर्वश्री इन्फ़िनिटि, भगवानपुर, रूड्की का वर्ष 2010-11 का कर निर्धारण दिनाँक 15.11.2016 को कया गया था। व्यौहारी की कर-निर्धारण पत्रावली व R-3 पंजिका की जाँच में पाया गया क केंद्रीय कर आदेश, धारा 9(2) दिनाँक 30.04.2014 के अंतर्गत व्यौहारी पर ` 95,36,155/- कर की माँग सृजित की गयी थी। पुनः दिनाँक 15.11.2016 को व वध आदेश के माध्यम से उक्त को संशो धत कर ` 86,175/- कर की माँग सृजित की गयी। कर-निर्धारण आदेश में यह उल्लेख था क यह व्यापारी का स्वीकृत कर है जिस पर दिनाँक 01.10.2010 से जमा करने की ति थ तक नियमानुसार 1.25% प्रतिमाह की दर से ब्याज भी जमा कया जायेगा।

आगे R-3 पंजिका की जाँच में पाया गया क व्यापारी द्वारा दिनाँक 07.12.2016 को `86,175/- जमा कया गया था, परन्तु, ब्याज जमा नहीं कया गया था। पंजिका की जाँच में पाया गया क ब्याज की रा श जमा कराये बिना ही माँग को पंजिका से समाप्त कर दिया गया था।

अतः नियमानुसार व्यापारी द्वारा दिनाँक 01.10.2010 से 07.12.2016 तक ` 79,963/- का ब्याज देय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा क व्यापारी द्वारा फॉर्म-सी का लाभ प्राप्त करने हेतु संयुक्त आयुक्त (अपील)-II के समक्ष अपील की गयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क व्यापारी द्वारा स्वीकृत कर जमा कया गया था तथा इकाई द्वारा R-3 पंजिका में माँग को सर्कल कर समाप्त कर दिया गया था।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 3: चालानों का गलत लाभ दिये जाने से कर का न्यूनारोपण व अर्थदण्ड ` 0.19 लाख ।

उत्तराखण्ड मूल्य व र्धत कर 2005-अ धनियम-की धारा1)58-)(xii) के अनुसार यदि कर निर्धारक प्रा धकारी का यह समाधान हो जाए क कोई व्यौहारी इस अ धनियम के अधीन देय कर या फीस या अर्थदण्ड या कसी अन्य धनरा श के जमा करने का मथ्या प्रमाण प्रस्तुत करता है तो उस पर पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनरा श की तीन गुना धनरा श, जो भी अ धक हो का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क॰ नि॰), खण्ड-I, रूड्की के लेखा भलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया क कार्यालय में पंजीकृत व्यौहारी सर्वश्री वन पेट एंड पो लमर्स का वर्ष 2011-12 का कर-निर्धारण दिनाँक 26.04.2016 को कया गया था। व्यौहारी की संगत वर्ष की पत्रावली की जाँच में पाया गया क व्यौहारी द्वारा `38,52, -/340के कर की रा श चालानो द्वारा जमा कराई गयी थी एवं जिसका लाभ व्यौहारी को संगत वर्ष में दिया गया था। आगे, चालानो की जाँच में पाया गया क व्यौहारी द्वारा ` -/1977व `) -/2677कुल ` (-/4654के चालान दिनाँक को जमा कराये थे। इन चालानो के द्वारा जमा 29.09.2011 (2011/03) 11-2010 कर की रा श वर्षसे संबन्धित थी परन्तु, व्यौहारी को इसका लाभ वर्ष में दिया गया था। 12-2011

अतः नियमानुसार व्यौहारी पर देय कर `4654/- के अतिरिक्त कर की रा श का गुणा 03 अर्थात` -/13962अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इं गत कए जाने पर कर-निर्धारण अ धकारी द्वारा अपने उत्तर में कहा गया क जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

अतः प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
45/2012-13	-	01
41/2013-14	-	01,02,03,(STAN-01)
28/2014-15	-	01
22/2015-16	01,02	01,02,03,04
41/2016-17	01	02,03,04,05,06

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**I** वा णज्य कर वभाग, रूड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये: शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः

   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला	उपायुक्त (क.नि.)-I

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति डप्टी क मश्नर (क0नि0)-**I** वा णज्य कर वभाग, रूड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र